



18

**शीर्षक:**—जनपद आगरा में आगरा—जगनेर मार्ग (एस.एच.—39) कि.मी. 243 (चैनेज—242.576) के खसरा संख्या 316, ग्राम नगला दूल्हे खान, तहसील—खेरागढ़ पर (रिलायंस बी.पी.ओ. मोबिलिटी लिमिटेड) न्यू रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2179434 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

**प्रस्ताव संख्या:**—एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/...../2022

**दिनांक:**— 30/05/2022

### मानक शर्तें

- (वन अनुमान—3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या—7314/14-3-1980/02, दिनांक 31.12.1984 हारा निर्धारित)
1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व की भौमि संरक्षित/अरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
  2. प्रस्ताव भूमि का उपयोग कंवल कथित प्रयोजन हेतु किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
  3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
  4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय मार्गी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके लक्षणों कोई अन्य वैकल्पिक भूमि नहीं है।
  5. हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन विभाग भूमि को किसी भी प्रकार क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का मुग्तान उबल विभाग को करना होगा।
  6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने ध्यय से सम्बन्धित बनाधिकारी की देखरेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाय गये मुग्तान आदि की देखभाल करेगा।
  7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
  8. दहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन्य जन्मुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्बद्ध प्रस्तावित विभाग जाय। कंवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की कतिपूर्ण एवं वन्य जन्मुओं के स्वच्छ विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
  9. सिचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग कर्मचारियों को निशुल्क जल सुधिता उपलब्ध कराई जायेगी।
  10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः विना किसी प्रकार के प्रतिकरण का मुग्तान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः विना किसी प्रतिकरण का भुग्तान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
  11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय अध्यानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं. 608/सी दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग यनाना अथवा वन मार्गों का मामूलीकर बदलकर पक्का करना होगा। वर्तमान याचक विभाग के स्वर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
  12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकित होगी जो याचक विभाग को मान्य होगा।
  13. वनभूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा



19